4 C.F.T. Rs. 13-00
02-9-22

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टांप सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारिख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारिख	नकल वापिस दिये जाने की तारिख	नकल वापिस देने वाले आधिकारी के हस्ताक्षर
1063 02-9-22	02-9-22	02-9-22	

न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर
मु०नं० T202216530411717 सन 2022 धारा 80
यू०पी०रा०सं० 2006 मौजा सलेमपुर पर हवेली तह० बुलन्द
[illegible] मेरठ खुर्द। |

तारीख 02-9-22

आख्या ग्रा० ग्रामोद्योग संस्थान [illegible] बनाम राज्य

नकल हाथ प्रति आदेश उपजिलाधिकारी सिकन्द्राबाद बुलन्द
दि० 02-9-2022 संलग्न है/

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :विन्ध्याचल,जनपद :मिर्जापुर,तहसील :चुनार
वाद सख्या :-11717/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202216530411717
आशा ग्रामीदयोग संस्थान पचेवरा बनाम राज्य
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

u/s. 80(1). RC. 2006

आशा ग्रामोधयोग संस्थान पचेवरा परगना हवेली तहसील चुनार जिला मीरजापुर बजरिये प्रबन्धक पारसनाथ सिंह पुत्र रामचरित्तर सिंह निवासी ग्राम विशुनपुरा परगना हवेली तहसील चुनार जिला मीरजापुर ने धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौके की जांच कराकर प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करने की कृपा की जाय।

उक्त के सम्बन्ध में मौके की जांच तहसीलदार चुनार से करायी गई। तहसीलदार चुनार ने अपनी स्थलीय एवं अभिलेखीय रिपोर्ट दिनांक 01.09.2022 में स्पष्ट किया है कि मौजा सड़ौली परगना हवेली तहसील चुनार जिला मीरजापुर में स्थित आ0नं0 113 रकबा 0.164हे0, आ0नं0 114 रकबा 0.658हे0 योग 02 गाटा कुल रकबा 0.822हे0 में से रकबा 0.274हे0 व आ0नं0 90मि0 रकबा 0.088हे0 व आ0नं0 89 रकबा 0.722हे0 में से रकबा 0.1805हे0 व आ0नं0 111ग रकबा 0.253हे0 में से रकबा 0.1265हे0 व आ0नं0 114 रकबा 0.658हे0 में से रकबा 0.063हे0 व आ0नं0 90मि0 रकबा 0.4550हे0 में से रकबा 0.1137हे0 इस प्रकार कुल रकबा 0.8457हे0 पर आशा ग्रामोधयोग संस्थान पचेवरा परगना हवेली तहसील चुनार जिला मीरजापुर बजरिये प्रबन्धक पारसनाथ सिंह पुत्र रामचरित्तर सिंह निवासी ग्राम विशुनपुरा परगना हवेली तहसील चुनार जिला मीरजापुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज है। मौके पर विद्यालय निर्माण हेतु बाउण्ड्रीवाल वगैरह का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त भूमि का उपयोग आबादी/व्यवसायिक रुप में किया जा रहा है। शपथ पत्र के अनुसार उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है और न ही किसी सरकारी प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत की गयी है। उक्त भूमि को अकृषिक प्रख्यापित करने की संस्तुति की गयी है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 एवं नियमावली के नियम 85(2) के अनुसार कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट सूची के अनुसार आगणित मूल्यांकन का 1प्रतिशत प्रार्थी द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त भूखण्ड की कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित सर्किल दर रू0 26,000,00.00 प्रति हे0 है,तदनुक्रम में रकबा 0.8457हे0 का मूल्यांकन रू0 2198820.00 होता है, मूल्यांकन का 1 प्रतिशत रू0 21988.00 देय है, जिसे प्रार्थी द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा उद्घोषणा शुल्क के रूप में भी उक्त भूमि के मूल्यांकन का 1 प्रतिशत मु0-21988.00 का भारतीय कोर्ट फीस न्याय शुल्क के रूप में जमा कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त चूंकि प्रश्नगत आराजी में प्रार्थी आशा ग्रामोधयोग संस्थान पचेवरा बजरिये प्रबन्धक पारसनाथ सिंह के साथ अन्य सहखातेदार है और प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में अकृषिक उद्घोषणा करने हेतु निवेदन किया है। इसलिये उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 के नियम 22 के उपनियम (2) के अनुसार विभाजन का खर्च मु0 1000 रू0 सीमांकन शुल्क के रूप में प्रार्थी द्वारा देय है, जिसे प्रार्थी द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है तथा प्रार्थी द्वारा सहखातेदारों का अनापत्ति पत्र भी दाखिल किया गया है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :विन्ध्याचल,जनपद :मिर्जापुर,तहसील :चुनार
वाद संख्या :-11717/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202216530411717
आशा ग्रामीद्योग संस्थान पचेवरा बनाम राज्य
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों,अभिलेखों एवं तहसीलदार चुनार की आख्या दिनांक 01.09.2022 का सम्यक परीक्षण किया। परीक्षण से स्पष्ट है कि तहसीलदार चुनार की आख्या न्यायोचित है स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार चुनार की आख्या दिनांक 01.09.2022 के आधार पर मौजा सझौली परगना हवेली तहसील चुनार जिला मीरजापुर में स्थित आ0नं0 113 रकबा 0.164हे0, आ0नं0 114 रकबा 0.658हे0 योग 02 गाटा कुल रकबा 0.822हे0 में से रकबा 0.274हे0 व आ0नं0 90मि0 रकबा 0.088हे0 व आ0नं0 89 रकबा 0.722हे0 में से रकबा 0.1805हे0 व आ0नं0 111ग रकबा 0.253हे0 में से रकबा 0.1265हे0 व आ0नं0 114 रकबा 0.658हे0 में से रकबा 0.063हे0 व आ0नं0 90मि0 रकबा 0.4550हे0 में से रकबा 0.1137हे0 इस प्रकार कुल रकबा 0.8457हे0 भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, व कुक्कुट पालन, संवर्द्धन भी शामिल है, से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त होने के कारण धारा 80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत आशा ग्रामोधयोग संस्थान पचेवरा परगना हवेली तहसील चुनार जिला मीरजापुर बजरिये प्रबन्धक पारसनाथ सिंह पुत्र रामचरित्तर सिंह निवासी ग्राम विशुनपुरा परगना हवेली तहसील चुनार जिला मीरजापुर का रकबा 0.8457हे0 भूमि अकृषिक प्रख्यापित कर मालगुजारी 16.06रू. भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति निःशुल्क निबन्धन हेतु उपनिबन्धक चुनार के यहां भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी
चुनार
02/09/022

पृष्ठ संख्या :-